उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 21 | 1–15 नवंबर 2026 | ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मुस्लिम-दलित मोर्चा गठित



- जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा
- अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत
- इजरायल में गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता
- पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन के हाथ बीएलए की कमान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मुस्लिम-दलित मोर्चा गठित 04
अवैध धर्मांतरण के दोषी मौलाना की जमानत याचिका खारिज 07
जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा 09
जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खान 10
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित 14

विश्व

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत 16
42 लाख से अधिक अफगान नागरिकों की स्वदेश वापसी 21
पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन के हाथ बीएलए की कमान 22
बांग्लादेश ने ठुकराई शेख हसीना की वापसी की शर्तें 23
पाकिस्तान ने दिया ट्रम्प प्रशासन को झटका 25

पश्चिम एशिया

इजरायल में गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता 26
प्राकृतिक संसाधनों पर फिलिस्तीनियों के अधिकार के पक्ष में प्रस्ताव पारित 29
हूती विद्रोहियों पर सऊदी वायुसेना का बड़ा हमला 30
ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका 31
सऊदी अरब द्वारा भारत के हज कोटे की घोषणा 33

सारांश

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से एक नया चुनावी गठबंधन हुआ है। इस मोर्चे ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। उर्दू अखबारों का आकलन है कि इस नए गठबंधन से सबसे अधिक चुनौती समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है, जो योगी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को भुनाकर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। इन अखबारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 21 प्रतिशत दलित और 19 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव जिस दल या गठबंधन की ओर होगा, उसके सत्ता में आने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इसी वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विदेशी धन के बल पर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने के मामले में मुख्य आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी और मोहम्मद उमर गौतम समेत आठ दोषियों की जमानती याचिका खारिज कर दी है। इन सभी को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया था और बाद में विशेष एनआईए अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के संगठनों को विदेशों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिली थी, जिसका इस्तेमाल देश में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण कराने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह का अंतिम लक्ष्य देश की निर्वाचित सरकार का तख्तापलट कर शरिया पर आधारित इस्लामिक शासन स्थापित करना था। गौरतलब है कि इस अवैध धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की भूमिका भी जांच के घेरे में आई थी।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी सफलता मिली है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और उच्च सदन (सीनेट) के लिए आठ मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए हैं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। उर्दू अखबारों में इस जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। इन अखबारों का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मतदाताओं ने इसलिए नकार दिया, क्योंकि उनकी नीतियों व ईरान के साथ बढ़े सैन्य तनाव के कारण अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त ट्रम्प द्वारा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ चलाया गया अभियान भी उन्हें काफी महंगा पड़ा। उर्दू अखबार अमेरिका और इजरायल के चुनावों में ट्रम्प और नेतन्याहू की पार्टियों की हार से इतने उत्साहित हैं कि वे यह भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि आगामी चुनावों में यही हश्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का भी होगा।

इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और 'याशर' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। वहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के प्रस्ताव पर चल रही बातचीत में अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। दूसरी ओर, नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने के लिए अरब पार्टियों के गठबंधन ने राष्ट्रपति के समक्ष आइजेनकोट के नाम का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मुस्लिम–दलित मोर्चा गठित



कौमी भारत (13 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करके 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' की घोषणा कर दी है। ओवैसी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में इस मोर्चे को सफलता मिलने पर चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

दोनों नेताओं ने लखनऊ में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य सामाजिक क्रांति लाना, पिछड़े वर्ग व किसानों की समस्याओं को हल करना और बेरोजगारी से निपटना है। ओवैसी ने विश्वास जताया कि यह गठबंधन भाजपा को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोकेगा। उन्होंने घोषणा की कि यह मोर्चा राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा।

इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो भी सरकारें सत्ता में आई हैं, वे दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की स्थिति सुधारने में पूरी तरह विफल रही हैं, जिससे गरीबी और सामाजिक अन्याय बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सत्ता में आने के बाद कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुआ और अब सरकार का विरोध करने वालों को नौकरी न देने की धमकी दी जा रही है। आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं को तानाशाह समझते हैं, उनके लिए संविधान व नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है और वे केवल बुलडोजर से मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं।

सियासत (17 नवंबर) के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे कठपुतली की तरह सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी को मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वे लोगों को भड़काकर और नफरत फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। यही राजनीति वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और



पश्चिम बंगाल में भी कर चुके हैं। इसके साथ ही शकील अहमद ने औवैसी की पार्टी एआईएमआईम पर पैसे लेकर राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का अरोप भी लगाया।

एतेमाद (15 नवंबर) के अनुसार मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह नया गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जनता का दिल जीतने वाला गठबंधन है। उन्होंने दावा किया कि यदि यह मोर्चा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आता है तो प्रदेश में 'बंदूक के शासन' को समाप्त कर 'संविधान का शासन' लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन में मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने भीड़ द्वारा हिंसा, फर्जी मुठभेड़ों तथा मस्जिदों, मदरसों व मजारों पर की जा रही कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के हित में है जो उत्पीड़न का शिकार है। इस दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों से भी इस मोर्चे में शामिल होने की अपील की।

अवधनामा (14 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इस नए गठबंधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। इससे सबसे अधिक बेचैनी समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि उसे आगामी चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसे भाजपा की 'बी-टीम' या उसके इशारे पर बना गठबंधन बता रही है। उधर, ओवैसी के पुराने सहयोगी और अब कांग्रेस नेता सैयद आसिम वकार ने आरोप लगाया है कि पर्दे के पीछे इस गठबंधन की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने दावा किया कि कई लोग भाजपा और अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं। इनमें कुछ को जेल जाने का डर है तो कुछ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं।

संपादकीय के अनुसार यह धारणा गलत है कि हर मुसलमान भाजपा के खिलाफ है। हकीकत यह है कि इमाम उमर अहमद इलियासी का संगठन 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन' और 'मुस्लिम राष्ट्रीय मंच' खुलकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता अखिलेश यादव के बजाय उनके पिता मुलायम सिंह यादव की वजह से मिली थी, लेकिन बाद में वे भाजपा की लहर में पिछड़ गए। भाजपा के खिलाफ बन रहे माहौल को देखकर अखिलेश यादव को उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार उनकी लॉटरी लग जाए, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर के गठजोड़ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

समाचारपत्र का आकलन है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में जीत की चाबी दलित मतदाताओं के हाथ में होगी, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 21 प्रतिशत हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कट्टर समर्थक रहे दलित मतदाता अब किसी एक दल को एकमुश्त वोट देने के मूड में नहीं दिखते। कौशांबी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और उन्नाव जैसे जिलों में इनकी आबादी 30 से 35 प्रतिशत के बीच है, जहां ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की 122 सीटों पर दलित आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि कुल 148 सीटों पर ये चुनावी हवा का रुख मोड़ सकते हैं। दलित वर्ग में जाटव मतदाता

सबसे प्रमुख हैं, जो कुल आबादी के लगभग 12 प्रतिशत हैं। जाटव मतदाता परंपरागत रूप से बसपा के साथ रहे हैं, जबकि गैर-जाटव मतदाता अलग-अलग दलों में बंटे हुए हैं।

वर्ष 2017 के बाद जाटव समाज में भाजपा का असर बढ़ा है और अब कांग्रेस भी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती को लेकर यह चर्चा आम है कि वे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए दलित वोटों का बंटवारा कर सकती हैं। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर आजाद मायावती से नाराज दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दलित समाज किसी एक गठबंधन को एकमुश्त वोट देगा? यदि ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि यह मोर्चा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवा बदलने में सक्षम है। प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का रुख निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ है। यदि लगभग 19 प्रतिशत मुस्लिम और 21 प्रतिशत दलित मतदाता एक साथ आ जाएं तो इस गठबंधन के सत्ता में आने की प्रबल संभावना बन सकती है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने अब तक इन दोनों वर्गों के प्रति केवल जुबानी हमदर्दी ही दिखाई है और इनके वास्तविक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी पार्टियों ने चुनाव के दौरान इनका केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया और सत्ता मिलने के बाद इन्हें हाशिए पर धकेल दिया। अब दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग अपने ही नेतृत्व को सत्ता में लाने के लिए कटिबद्ध दिख रहे हैं।

समाचारपत्र ने यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम-दलित गठजोड़ कोई पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले बसपा इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता हासिल कर



चुकी है। जिस तेजी से चंद्रशेखर आजाद उभर रहे हैं, वह मायावती और बसपा के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। वर्तमान में प्रदेश की राजनीति एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सेक्युलर वोटों के बिखराव से भाजपा को लाभ मिल सकता है, लेकिन जिस तरह सवर्ण मतदाता भी उससे छिटक रहे हैं, उस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हमारा समाज (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं है कि दलित वोटों को बटोरने के लिए नई-नई दुकानें खुलने लगी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो दल कभी एक-दूसरे को भाजपा की 'बी-टीम' बताया करते थे, आज वे ही आपस में गठबंधन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस नए राजनीतिक समीकरण में असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर और मायावती के नाम अलग-अलग संदर्भों में सामने आ रहे हैं।

संपादकीय के अनुसार अब तक आक्रामक बयानबाजी के जरिए मुस्लिम वोट साधने वाले ओवैसी को उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना पड़ा है। सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, जिसके चलते मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का दावा करने वाली पार्टी को एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना पड़ा? दूसरी ओर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम

प्रकाश राजभर फिलहाल भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक निष्ठा में बदलाव आने की चर्चाएं भी गर्म हैं। इस बीच, बसपा प्रमुख मायावती भी पुनः सक्रिय हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि वे चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव वाले वोट बैंक में किस हद तक सेंध लगा पाती हैं।

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की है, जो अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे इन वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, भाजपा की कोशिश है कि मुस्लिम-दलित वोट आपस में बंट जाएं ताकि उसे इसका सीधा लाभ मिल सके। समाचारपत्र का कहना है कि केवल किसी दलित या मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देने से सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए इन समुदायों के शैक्षणिक, रोजगारपरक और आर्थिक उत्थान की ठोस नीतियां जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का संग्राम नहीं है, बल्कि यह भी तय करेगा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम मतदाता एकजुट होते हैं या अलग-अलग दलों में विभाजित होकर रह जाते हैं।

अवैध धर्मांतरण के दोषी मौलाना समेत आठ की जमानत याचिका खारिज



इंकलाब (5 नवंबर) के अनुसार अवैध धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 16 दोषियों की जमानत अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए आठ दोषियों को जमानत दे दी है, जबकि आठ दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिन दोषियों की जमानत याचिका रद्द की गई है, उनमें मौलाना कलीम सिद्दीकी, मुफ्ती जहांगीर कासमी, उमर गौतम, कौसर आलम, आदम, इरफान शेख, डॉ. फराज बाबुल्लाह शाह और सलाहुद्दीन शामिल हैं। अदालत ने माना कि कलीम सिद्दीकी और सात अन्य दोषियों के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं।



खंडपीठ ने जमानत पाने वाले सभी आठ दोषियों को निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि दो महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में जुर्माने की आधी राशि जमा न करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें दोबारा जेल जाना होगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर कासमी को नामजद किया गया था। बाद में उमर गौतम के संगठन 'इस्लामिक दावा सेंटर' को भी जांच के दायरे में लाया गया। एटीएस की जांच के बाद आरोपियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई थी, जिनके खिलाफ अदालत में आरोप तय किए गए। वर्ष 2024 में विशेष अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि चार अन्य को 10 वर्ष की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी।

टिप्पणी: वर्ष 2021 में इस गिरोह का खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने दावा किया था कि कलीम सिद्दीकी के संगठनों- 'ग्लोबल पीस सेंटर' और 'जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट' के तार विदेशों से जुड़े हैं। भारत में अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इन्हें मुस्लिम देशों और विभिन्न विदेशी स्रोतों से लगातार भारी धनराशि प्राप्त हो रही थी, जिसमें बहरीन से डेढ़ करोड़ रुपये सहित कुल तीन करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने की बात सामने आई थी।

इस मामले की शुरुआत 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम की गिरफ्तारी से हुई थी। इनसे पूछताछ के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी कर दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि उमर गौतम पहले हिंदू था, जिसने इस्लाम स्वीकार करने के बाद दिल्ली के जामिया नगर स्थित 'इस्लामिक दावा सेंटर' की आड़ में एक हजार से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया था।

इस पूरे सिंडिकेट का सरगना मुजफ्फरनगर के फुलत गांव का निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी था, जिसने लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलमा से शिक्षा प्राप्त की थी। कलीम के ट्रस्ट के माध्यम से देश भर के विभिन्न इस्लामिक मदरसों को धर्मांतरण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता था। पुलिस के अनुसार कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के बैंक खातों में विदेशी स्रोतों से लगभग 20 करोड़ रुपये प्राप्त होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें से इदरीस कुरैशी द्वारा मुजफ्फरनगर में लगभग 60 लाख रुपये की लागत से निजी मकान बनवाने की बात भी सामने आई थी। इस प्रकरण के दौरान उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। एटीएस ने आरोप लगाया था कि यह गिरोह विदेशी सहायता से धर्मांतरण कर देश के जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर शरिया आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहा था।

जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा



सहाफत (14 नवंबर) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भगोड़े और विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक द्वारा स्थापित संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। पिछले प्रतिबंध की पांच वर्षीय अवधि 14 नवंबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इसे अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित करने का आदेश जारी कर दिया। अधिसूचना के अनुसार इस संगठन और इससे जुड़े लोगों की गतिविधियां देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं, जिनसे शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।

सरकारी अधिसूचना में संगठन के संस्थापक जाकिर नाइक को इस पूरी गतिविधि का मुख्य दोषी ठहराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नाइक अपने भड़काऊ भाषणों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है, जिससे मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। मंत्रालय के अनुसार नाइक अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी और नफरती विचार पहुंचाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रतिबंध में विस्तार नहीं किया जाता तो जाकिर नाइक और उससे जुड़े संगठन देश में सांप्रदायिक अशांति, अलगाववाद और देशद्रोह की भावना को भड़का सकते हैं।

सरकारी सूत्रों ने जाकिर नाइक की एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादियों- मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस डार और फैसल नदीम के साथ मुलाकात करता हुआ दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार गैरकानूनी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंधित लगाया था, जिसकी पुष्टि यूएपीए न्यायाधिकरण ने



मई 2017 में की थी। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को सरकार ने इस प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ाया था, जिस पर न्यायाधिकरण ने 30 मार्च 2022 को अपनी मुहर लगाई थी।

गौरतलब है कि भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने से पहले ही वर्ष 2016 में जाकिर नाइक देश छोड़कर फरार हो गया था और बाद में उसने मलेशिया में शरण ले ली। तब से वह लगातार विभिन्न देशों का दौरा करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। नाइक यह घोषणा भी कर चुका है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, वह भारत नहीं लौटेगा।

उल्लेखनीय है कि मुंबई में जन्मे नाइक ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी, लेकिन वर्ष 1987 में दक्षिण अफ्रीका के कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारक अहमद हुसैन दीदात के संपर्क में आने के बाद उसने अन्य धर्मों की आलोचना और कट्टरपंथी प्रचार का रास्ता चुन लिया। उसने वर्ष 1991 में मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और अपने कट्टर विचारों के प्रसार के लिए वर्ष 2006 में 'पीस टीवी' की शुरुआत की। वर्ष 2015 में सऊदी अरब ने उसे 'किंग फैसल पुरस्कार' से सम्मानित किया था।

गौरतलब है कि जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित होकर 1 जुलाई 2016 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित 'होली आर्टिजन बेकरी' पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 24 निर्दोष लोग मारे गए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकवादी भी मारे गए थे। हमलावरों में से दो नाइक के अनुयायी थे। इस घटना के बाद तत्कालीन बांग्लादेश सरकार ने उसके टीवी चैनल 'पीस टीवी' के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दूसरी ओर, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत मलेशिया से नाइक को भारत के हवाले करने का अनुरोध किया था ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके, लेकिन मलेशिया ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाईक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज कर संपत्तियां जब्त की हैं, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी यूएपीए और भड़काऊ भाषणों के मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खान

मुंबई उर्दू न्यूज (19 नवंबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने उनका स्वागत किया। यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय



(ईडी) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने यह कहते हुए ईडी की याचिका खारिज कर दी कि वे उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सियासत (19 नवंबर) के अनुसार इससे पहले जब ईडी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी तब सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की थी कि "यदि उन्हें अंतरिम जमानत दी गई तो आसमान नहीं गिर जाएगा।" गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में आजम खान को 10 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है।

इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह की पीठ ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने ईडी को इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत भी दी है। उच्च न्यायालय में बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दलील दी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चाहती कि आजम खान जेल से बाहर आएं, इसलिए पिछले कई वर्षों से उन्हें एक के बाद एक मुकदमों में उलझाकर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल, ईडी ने वर्ष 2019 में अब्दुल्ला आजम के दोहरे पैन कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सहित विभिन्न आरोपों में दर्ज 29 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। हालांकि, इनमें से अधिकांश मामलों में आजम खान को पहले ही राहत मिल चुकी है। इससे पहले 28 अक्टूबर को ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि और कई इमारतों को जब्त कर लिया था, वहीं, पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए थे, ईडी ने उन्हें सात साल पुराने इस मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था और अगले दिन गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

हिंदुस्तान (20 नवंबर) के अनुसार आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग, ईडी, आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों पर सत्तारूढ़ दल के हाथ की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया। जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण के समय उनका वजन 98 किलोग्राम था, जो घटकर 70 किलोग्राम रह गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यदि उन्हें पहले पता होता कि एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो वे यूनिवर्सिटी के बजाय रिक्शा चलाना पसंद करते।

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर की इमारतों को अवैध करार देकर गिराए



जाने की चेतावनी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "मैं अपना मुकदमा वापस लेकर प्राधिकरण को आमंत्रित करूंगा कि आइए और बुलडोजर से यूनिवर्सिटी की सभी इमारतों को गिरा दीजिए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि जब एक मुसलमान शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित करता है तो उसके और उसके संस्थान के साथ क्या व्यवहार किया जाता है।" आगामी चुनावों को लेकर आजम खान ने कहा कि "इस बार चुनाव नहीं, बल्कि इंकलाब होगा, यह केवल बदलाव नहीं, बल्कि एक सैलाब होगा, जिसमें मौजूदा सत्तारूढ़ लोग बह जाएंगे और उनका नामोनिशान मिट जाएगा।"

मुंबई उर्दू न्यूज (3 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है और उन्हें केवल इसलिए जेल में रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। संपादकीय के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम ने यह बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में सभी वर्गों के लिए कानून समान हैं या फिर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे गढ़े जाते हैं।

संपादकीय में लिखा गया है कि ईडी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुईं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। एजेंसी के अनुसार यूनिवर्सिटी की भूमि और 59 इमारतों का मूल्यांकन लगभग 426 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि इनका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1170 करोड़ रुपये बताया जाता है। ये आरोप गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि जांच एजेंसी के आरोप अदालती फैसले नहीं होते। राजनीतिक मतभेदों की आड़ में किसी व्यक्ति को राजनीतिक या धार्मिक आधार पर निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। आजम खान के वकील निजाम पाशा ने भी सर्वोच्च न्यायालय में दावा किया है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब तक 87 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अब एक नया मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक दुर्भावना के चलते किसी न



किसी बहाने उन्हें लगातार जेल में रखने की कोशिश कर रही है।

संपादकीय ने पूछा है कि क्या मुसलमान होने के कारण आजम खान को निशाना बनाया जा रहा है? मुकदमों का फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसका हर कदम पारदर्शी हो। यूनिवर्सिटी की स्थापना करना कोई अपराध नहीं है और न ही मुसलमान होना कोई जुर्म है। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि किसी नागरिक को उसकी धार्मिक पहचान या राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए।

अवधनामा (7 नवंबर) ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजम खान के खिलाफ बदले की राजनीति की आड़ में कानून की जंग लड़ रहे हैं। यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की धमक शुरू होते ही आजम खान के मामले को फिर से उछाला जा रहा है। योगी और आजम के बीच तनाव योगी के सत्ता में आने के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसका पुराना इतिहास है।

समाचारपत्र के अनुसार आजम खान ने अपने सत्ताकाल में योगी आदित्यनाथ को कई बार निशाना बनाया था, जिसका योगी ने भी जवाब दिया था। मार्च 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी ने इस पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बदले की कार्रवाई में बदल दिया। वहीं, आजम खान ने भी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर मुसलमानों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की बात कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की थी। तभी से यह तय माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ दल और मुख्यमंत्री आजम खान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या गिरफ्तारी के समय आवश्यक कानूनी नियमों का पालन किया गया था? क्या आजम खान को रिमांड पर लेने से पहले उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी गई थी? दूसरी ओर, ईडी के वकील ने अदालत में यह दावा किया है कि एजेंसी के पास इस प्रक्रिया से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या आजम खान को जानबूझकर राजनीतिक बदले का निशाना बनाया गया है? समाचारपत्र ने कहा है कि आजम खान को अदालत में अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ताकि यह तय हो सके कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ठोस कानूनी आधार है या यह केवल राजनीतिक दबाव में की गई बदले की कार्रवाई है। ■

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के नतीजे घोषित



इंकलाब (7 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के छात्रों का संघर्ष आखिरकार फलीभूत हुआ और यूनिवर्सिटी प्रशासन को आठ साल के अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव करवाने पड़े। इस संस्थान के 105 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई है। चुनाव परिणामों के अनुसार मोहम्मद नोमान अशरफ 7797 वोटों के साथ अध्यक्ष चुने गए, जबकि नशरा नईम ने 7091 वोट हासिल कर उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। वहीं, मोहम्मद हमदान 8385 मत प्राप्त कर सचिव चुने गए हैं। खास बात यह है कि छात्रसंघ की 10 सदस्यीय कार्यकारिणी में भी रिकॉर्ड पांच छात्राओं ने जीत हासिल की है।

इसके साथ ही एएमयू कोर्ट के चुनावों में विभिन्न संकायों से 11 छात्र प्रतिनिधियों ने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर, वीमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में अनम रियाज अध्यक्ष, आयशा खान उपाध्यक्ष और मरियम जान सचिव निर्वाचित हुईं। इसके अलावा वीमेंस कॉलेज यूनियन की आठ सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनावी नतीजों की भी घोषणा की गई है।

मतदान करने से पहले छात्रों को अपना यूनिवर्सिटी पहचान पत्र, वर्तमान शैक्षणिक सत्र का पंजीकरण कार्ड तथा नवप्रवेशी छात्रों को प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य था। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी व्यक्तियों के यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चुनाव में एएमयू परिसर और वीमेंस कॉलेज परिसर के कुल 24,822 पंजीकृत मतदाताओं में से 18,033 छात्र-छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने छात्रसंघ के शांतिपूर्ण चुनाव पर विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि आठ साल के बाद छात्रसंघ की बहाली परिसर में लोकतंत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे छात्रों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और उनके माध्यम से अपने

मुद्दों को उठाने का अवसर मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्र अपनी समस्याओं के समाधान में यूनिवर्सिटी प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे।



इंकलाब (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आशा व्यक्त की है कि एएमयू में छात्रसंघ की बहाली से एक नए युग की शुरुआत हुई है। एएमयू छात्रसंघ का अंतिम चुनाव वर्ष 2018 में और एएमयू कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने जनवरी 1877 में इस संस्थान की नींव मोहम्मडन-एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में रखी थी। बाद में वर्ष 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। समाचारपत्र ने लिखा है कि प्रशासनिक अड़चनों और असंतोष के कारण पिछले कई वर्षों से छात्रसंघ के विधिवत चुनाव नहीं हो सके, जिसका मूल कारण सरकारों द्वारा इस संस्थान के प्रति उदासीन रुख अपनाना रहा है। पिछले कई वर्षों से छात्र चुनाव कराने की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने कई बार भूख हड़ताल भी की, लेकिन हर बार प्रशासन केवल आश्वासन देकर टालता रहा।

इसी क्रम में इस वर्ष सितंबर महीने में एम. ए. के छात्र यासिर फहद ने चुनाव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। शुरुआत मे प्रशासन चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब इस संघर्ष में यूनिवर्सिटी की छात्राएं भी भारी संख्या में मैदान में उतरीं और पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद यह आंदोलन नहीं रुका तो अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा।

हिंदुस्तान (15 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दोनों देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, लेकिन इनमें गद्दार और आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। उन्होंने दोनों संस्थानों को बंद करने तथा इनके नाम से 'मुस्लिम' शब्द हटाने की मांग भी की। उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने देश में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

इंकलाब (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इस बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि इस जहरीले बयान पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मौन धारण कर रखा है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी अरब देशों में जाकर वहां के नेताओं के सामने देश की सांप्रदायिक सद्भावना और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन दूसरी ओर देश के भीतर मुसलमानों और उनके संस्थाओं के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है। संपादकीय में स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों संस्थान किसी एक वर्ग या धर्म की जागीर नहीं हैं, बल्कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति हैं। ■

विश्व

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत



इंकलाब (5 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में अनेक मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि इस चुनाव ने अमेरिका में सत्ता और शक्ति का संतुलन बदल दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों सदन निकल गए हैं, जिनमें अब डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिल गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ऐसे में दोनों सदनों में विपक्ष का बहुमत होने से अब उन्हें अपनी नीतियों को लागू करने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी सीनेट के इतिहास में पहली बार मिशिगन से एक मुस्लिम उम्मीदवार 42 वर्षीय अब्दुल अल-सैयद ने जीत दर्ज की है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी सात अन्य मुस्लिम उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। न्यू जर्सी से 52 वर्षीय एडम हमावी ने जीत दर्ज की है, जबकि न्यूयॉर्क से दारियालिजा अविला शेवेलियर विजयी रही हैं। मिशिगन से फिलिस्तीनी मूल की राशिदा तालिब ने अपनी सीट बरकरार रखी है, जो अमेरिकी कांग्रेस की पहली और एकमात्र फिलिस्तीनी-अमेरिकी महिला सदस्य हैं। इसी तरह, मिनेसोटा से सोमाली मूल की इल्हान उमर और इंडियाना से आंद्रे कार्सन ने भी अपनी-अपनी सीटें बरकरार रखी हैं। कार्सन अमेरिकी कांग्रेस में सबसे अधिक बार जीत दर्ज करने वाले मुस्लिम सदस्य हैं। वहीं, कैलिफोर्निया से लतीफा साइमन और आयशा वहाब ने भी जीत हासिल की है।

इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की विधानसभा चुनावों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप मूल के दर्जनों उम्मीदवार शामिल हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी की इस शानदार जीत पर टिप्पणी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी मतदाता अब ऐसी राजनीति और नेतृत्व चाहते हैं जो समाज को विभाजित करने के बजाय उसे एकजुट करने का काम करे।

ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। उन्होंने मध्यावधि चुनावों के प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में यह भविष्यवाणी की है कि इन चुनाव परिणामों से अमेरिका के प्रति चीन के रुख में बदलाव आने की संभावना है। इन नतीजों ने खाड़ी के अरब देशों के लिए भी नई समस्या पैदा कर दी हैं, जिनके शासकों के राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके परिजनों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं।



उदाहरण के लिए दुबई में ट्रम्प का अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स स्थित है और कतर ने उन्हें लगभग 40 करोड़ डॉलर मूल्य का एक विमान उपहार में दिया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब ने ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनियों में खरबों रुपये का निवेश कर रखा है। अब इन चुनाव परिणामों ने ट्रम्प को ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (6 नवंबर) के अनुसार अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अब राष्ट्रपति ट्रम्प को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि ट्रम्प ने ईरान युद्ध के दौरान अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि वे इस बात की जांच करवाएंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प परिवार की संपत्ति में अचानक इतनी भारी वृद्धि कैसे हुई। इसके साथ ही ट्रम्प परिवार के व्यापारिक सौदों, एपस्टीन फाइल्स मामले में ट्रम्प प्रशासन की भूमिका और आव्रजन एजेंसी (आईसीई) की छापेमार कार्रवाइयों से ट्रम्प को हुए लाभ की भी जांच की जाएगी।

दूसरी ओर, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हारे हुए जुआरी की तरह परेशान हैं और अमेरिका की 'इजरायल फर्स्ट' नीति अब अपना असर दिखा रही है। इससे पहले वेंस ने 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि कई राज्यों में रिपब्लिकन मतदाता उन्हें वोट देने के इरादे से ही घरों से निकले थे, लेकिन ईरान युद्ध, महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों ने उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर कर दिया, जो रिपब्लिकन पार्टी की हार का मुख्य कारण बना।

औरंगाबाद टाइम्स (5 नवंबर) के अनुसार मिशिगन से अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद मिस्र मूल के हैं और उनके पिता मिस्र से आकर अमेरिका में बसे थे। उनकी पत्नी डॉ. सारा जुकाकू का संबंध भारत से है। सारा के दादा जे.एच. शमसुद्दीन जुकाकू तत्कालीन मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) की बी.डी. जत्ती सरकार में उप-वित्त मंत्री रह चुके हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि इस लिहाज से भारतीय

मूल की मुस्लिम महिला के पति की इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाना स्वाभाविक है।



मुंबई उर्दू न्यूज (11 नवंबर) के अनुसार चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ चलाए गए नफरती अभियान के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस्लाम विरोधी घटनाओं में 183 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इन घटनाओं में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, धार्मिक स्थलों में आग लगाने के प्रयास तथा मस्जिदों और मदरसों के निर्माण का विरोध शामिल है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 नवंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है- 'और अब्दुल जीत गया!' संपादकीय में लिखा गया है कि अमेरिकी सीनेट के लिए अब्दुल अल-सैयद की जीत से भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों के सीने पर सांप लोट गए हैं, जो 'अब्दुल' के पेंच कसने के सपने देखा करते थे। वे चाहते हैं कि अब्दुल ताउम्र पंचर ही बनाता रहे। उनके लिए 'अब्दुल' महज एक मुस्लिम नाम नहीं है, बल्कि वे इसकी आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। संपादकीय के अनुसार नरेन्द्र मोदी ने 2002 में पहली बार मुसलमानों के संदर्भ में 'पंचर' बनाने का जिक्र किया था और तब से भगवा ब्रिगेड पंचर वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। कुदरत ने अब्दुल को विजयी बनाकर उस ट्रम्प की भी अक्ल ठिकाने लगा दी है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान चला रहे थे।

अल-सैयद की जीत ट्रम्प और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुंह पर करारा तमाचा है। दोनों ने ही मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण दिए थे और फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन करने के कारण अब्दुल अल-सैयद को 'जिहादी' व आतंकवाद समर्थक करार दिया था। ट्रम्प ने एक चुनावी सभा में यह तक कहा था कि यदि यह जिहादी जीत गया तो वह तुम्हारा घर और अपार्टमेंट छीन लेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब भारत में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपनी चुनावी सभाओं में भाजपा विरोधी दलों और मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसा ही जहरीला प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यह कहकर बहुसंख्यक समाज को भड़काने की कोशिश की थी कि अगर ये जीते तो तुम्हारे मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। ट्रम्प ने भी मोदी की तरह धर्म और नस्ल के नाम पर मतदाताओं को बांटने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः जीत अब्दुल की ही हुई।

अब एक नहीं, बल्कि आठ 'अब्दुल' जीते हैं, जिनमें बहुचर्चित इल्हान उमर भी शामिल हैं। ट्रम्प ने उनके खिलाफ झूठ का बाजार गर्म कर रखा था और उन्हें अमेरिका से निष्कासित करने की धमकी तक दी थी। ट्रम्प ने इल्हान के खिलाफ यह दुष्प्रचार भी किया कि उन्होंने अपने सगे भाई से शादी की है, जिसे भारत की 'गोदी मीडिया' ने भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। इसके बावजूद इल्हान उमर पांचवीं बार चुनाव जीत गईं और अफगान मूल की आयशा वहाब भी विजयी हुई हैं। ये सभी 'अब्दुल' मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हैं और न ही इन्हें दुनिया भर के मुस्लिम पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाने से डर लगता है।



समाचारपत्र के अनुसार इन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का शेहरा उन अमेरिकी मतदताओं के सिर बंधता है, जिनकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच है। बाकी 65 साल से ऊपर के अमेरिकी 'अंकल' तो भारतीय 'अंधभक्तों' की तरह ही रहे। युवाओं ने नफरत, नस्लपरस्ती, ईरान युद्ध और इजरायल समर्थन के खिलाफ वोट देकर ट्रम्प को धूल चटा दी है। यही बदलाव इजरायल और ब्राजील में भी हुआ है और याद रखिए कि यही भारत में भी होगा। अब्दुल अब हारेगा नहीं, बल्कि जीतेगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका में मुसलमानों की जीत ईसाइयों, यहूदियों और अन्य समुदायों के मतदाताओं के समर्थन से हुई है, क्योंकि वहां किसी ने असदुद्दीन ओवैसी की तरह मतदाताओं को बांटने की कोशिश नहीं की। मुसलमानों की एकता और सांप्रदायिक राजनीतिक दलों से दूरी के कारण भारत में भी चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 नवंबर) ने ईस्टर्न क्रेसेंट के संपादक मोहम्मद बुरहानुद्दीन कासमी का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें भारतीय मुसलमानों को यह चेतावनी दी गई है कि वे इस भ्रांति में न रहें कि यदि अमेरिका में कई 'अब्दुल' जीते हैं तो भारत में भी ऐसा ही होगा। अमेरिका में 'अब्दुलों' की यह सफलता भारत के 'अब्दुलों' के लिए एक बड़ा संदेश है कि यदि वे वाकई नेतृत्व करना चाहते हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के 'अब्दुलों' से सीखें। इन 'अब्दुलों' ने जॉन जॉर्ज, स्मिथ, मार्टिन, गौतम, यादव, सिंह और मोहम्मद- सभी के दिल जीते हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काकर या विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच नफरत पैदा करके यह जीत हासिल नहीं की है, बल्कि अलग-अलग आस्थाओं को मानने वाले लोगों को एकजुट करके उनका भरोसा जीता है। यही सफलता की असली कुंजी है।

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान चलाने वाले 'अब्दुल' इसके बिल्कुल उलट रास्ते पर चल रहे हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं और नफरत के पौधे को खाद-पानी दे रहे हैं। वे गैर-अब्दुलों के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय मतदाताओं को अपने ऐसे नेताओं को पहचानना और ठुकराना सीखना होगा, जिनकी राजनीति की बुनियाद समाज को विभाजित करना है।

लेखक का कहना है कि हम तभी जीत सकते हैं, जब हमारे साथ हमारे देशवासी- शर्मा, गौतम, यादव, ठाकुर, सिंह और जॉर्ज जैसे लोग भी शामिल हों। अन्यथा लंबे-चौड़े नारों की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू-मुस्लिम दुश्मनी की राजनीति करने वाला कोई भी 'अब्दुल' हमें एक ऐसी खाई में धकेल देगा, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी।

लेखक ने आगे लिखा है कि हमारे देश की राजनीति फिल्मी कहानी जैसी होती है, जहां राजनीतिक खिलाड़ी जनता के सामने अपनी पूर्व-निर्धारित भूमिका निभाते हैं। इनमें से कोई एक वर्ग के लिए हीरो होता है तो दूसरे वर्ग के लिए खलनायक। पर्दे पर जो कुछ दिखाया जाता है, उसे देखकर दर्शक कभी खुशी से तालियां बजाते हैं,

कभी प्रशंसा करते हैं तो कभी रोते हैं। हालांकि, अक्लमंद दर्शक यह जानते हैं कि यह कलाकार जो अभिनय कर रहा है, उसकी डोर किसी और के हाथ में है।

ऐसे में यह जरूरी है कि मुस्लिम मतदाता किसी भी कठपुतली नेता को यह अनुमति न दें कि वह उन्हें किसी के इशारे पर बंधक बनाए और समाज में जहर घोले। ऐसा व्यक्ति जो अपने समुदाय से बाहर के लोगों का दिल नहीं जीत सकता, वह कभी अपने समुदाय की भी भलाई नहीं कर सकता। भेष बदला हुआ 'अब्दुल' मुसलमानों का नेता बनकर सियासी सौदेबाजी में अपना हिस्सा तो समेट सकता है, लेकिन वह अपने वर्ग का कोई भला नहीं कर सकता।

इंकलाब (5 नवंबर) ने अपने संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि जनता ने अपने वोटों की ताकत से इनके घमंड और मनमानी को पराजित कर इनके खतरनाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि लोकतंत्र में जनता की खामोशी को शासकों की तानाशाही का समर्थन समझना एक बहुत बड़ी भूल है। किसी भी लोकतांत्रित देश में सत्ता स्थायी नहीं होती और जब कोई शासक स्वयं को आत्मचिंतन तथा जवाबदेही से ऊपर समझने लगता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है।

अवधनामा (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की हार के बाद अब यह कहा जाने लगा है कि भारत में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की हार तय हो चुकी है। संपादकीय के अनुसार ट्रम्प, नेतन्याहू और मोदी तीनों एक ही विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए इनका अंजाम भी एक जैसा होगा। लेख में कहा गया है कि इससे इनकार नहीं किया जा



सकता कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद भारत में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और लोगों को ठेके पर रखा जा रहा है।

संपादकीय में व्यंग्य करते हुए लिखा गया है कि भले ही बेरोजगारी चरम सीमा पर हो तथा पेट्रोल और गैस की कीमतों ने कमर तोड़ दी हो, लेकिन हमारे देश की जनता को मोदी और उनकी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पिछले वर्षों में देश ने नोटबंदी जैसी मुसीबत भी झेली और तब यह समझा जाने लगा था कि इसके बाद मोदी सरकार औंधे मुंह गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी, जहां लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे, लेकिन वे भारी बहुमत से लौटे और उनकी 'बुलडोजर नीति' लगातार जारी है। संपादकीय के अनुसार भारत, अमेरिका और इजरायल की जनता के सोचने का तरीका अलग-अलग है। अमेरिकी जनता महंगाई के कारण ट्रम्प की सत्ता पलट सकती है, लेकिन भारतीय मतदाताओं पर इसका वैसा असर नहीं दिखता।

संपादकीय में आगे लिखा गया है कि प्रकृति का नियम है कि झूठ (कुफ्र) से हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म से कोई भी हुकमत लंबे समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि घमंड और अन्याय का खात्मा आवश्यक है। अब देखना यह है कि भारत में भी जमीनी मुद्दों पर मतदान होगा या लोग भावावेश में आकर वोट देंगे। इसका फैसला तो समय ही करेगा।

42 लाख से अधिक अफगान नागरिकों की स्वदेश वापसी



कौमी भारत (16 नवंबर) के अनुसार विदेशों से अफगान नागरिकों के जबरन निष्कासन का सिलसिला दिन-प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। पिछले दो वर्षों के भीतर 42 लाख से अधिक अफगान नागरिक अपने देश लौट चुके हैं। इनमें से 17 लाख पाकिस्तान से वापस आए हैं, जबकि 25 लाख ईरान से निष्कासित किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों से भी अफगान नागरिकों को वापस भेजा गया है।

प्रवासी अधिकार कार्यकर्ता अब्दुल राजिक आदिल ने कहा है कि पिछले दो सालों में 40 लाख से अधिक अफगान मूल के नागरिकों की जबरन वापसी के कारण देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि जो अफगान नागरिक पाकिस्तान से आए हैं, उनमें से अधिकांश का जन्म वहीं हुआ था।

हमारा समाज (14 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान ने रूस के साथ 15 नए समझौतों पर हस्ताक्षर करके पाकिस्तान को गहरा झटका दिया है। अब तक अफगानिस्तान अपने व्यापार के लिए काफी हद तक पाकिस्तान पर निर्भर था। पिछले दो वर्षों से दोनों देशों के संबंधों में चल रहे तनाव के कारण पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा बंद कर दी थी, जिससे अफगानिस्तान का व्यापारिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसके द्विपक्षीय व्यापार में भारी गिरावट आई।

रूस के साथ हुए इन नए समझौतों के तहत अफगानिस्तान रूस से दवाइयां, गेहूं, आटा और खाद्य तेल आयात करेगा, जबकि रूस अफगानिस्तान से ताजा फल विशेषकर अनार खरीदेगा। काबुल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अफगानिस्तान के आर्थिक मामलों के उप-प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और रूस के उप-प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक की मौजूदगी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रूसी कंपनियों के 70 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे, जो अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। एक अफगान प्रतिनिधि ने इस बात की भी पुष्टि की कि रूस के सहयोग से अफगानिस्तान में कई नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन के हाथ बीएलए की कमान

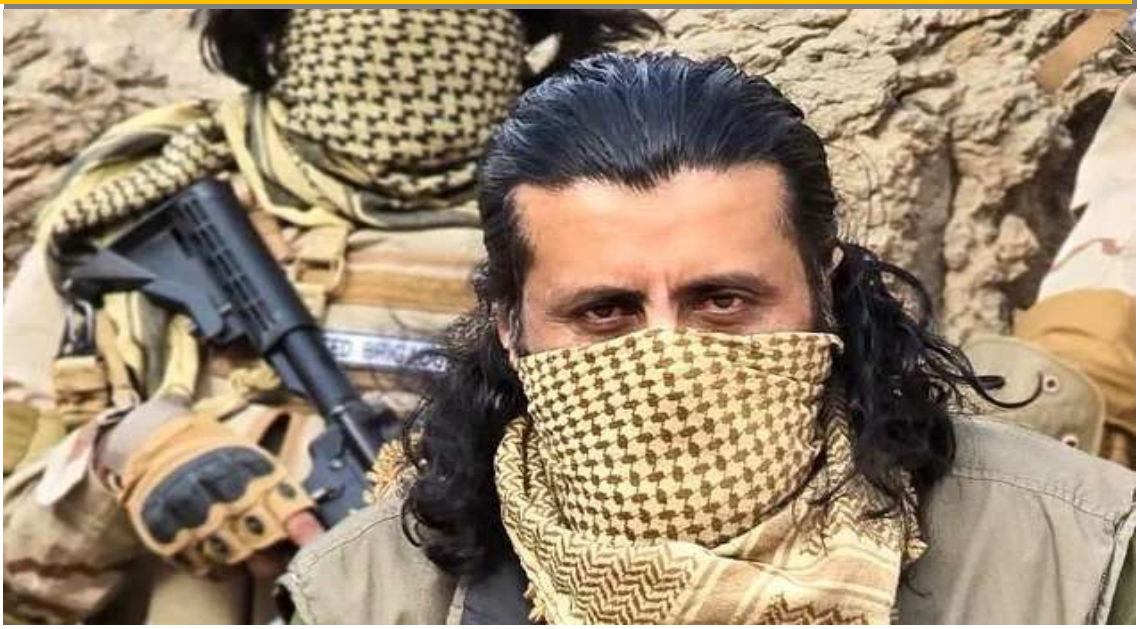

औरंगाबाद टाइम्स (16 नवंबर) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व कैप्टन को अपना नया कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया है। बीएलए की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व कैप्टन रहमान गुल ने करीब आठ वर्षों तक पाकिस्तानी सेना में सेवा देने के बाद बलूचिस्तान में सेना के उत्पीड़न से तंग आकर वर्ष 2010 में नौकरी छोड़ दी थी और विद्रोही गुट में शामिल हो गए थे। वहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने वर्ष 2025 में यह दावा किया था कि रहमान गुल अफगानिस्तान में आतंकवादियों के साथ मारे गए हैं।

रहमान गुल को उस्ताद मुरीद और मुरीद बलोच के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म बलूचिस्तान के नुश्की जिले में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में वर्ष 2002 में वे पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 19वीं बटालियन में तैनात किया गया था। पिछले वर्ष पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने रहमान गुल के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 लाख पाकिस्तानी रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक रहमान गुल ने पाकिस्तान में कई बड़े हमलों का नेतृत्व किया है, जिनमें वर्ष 2024 में कराची में चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला भी शामिल है, जिसमें कई चीनी नागरिक मारे गए थे।

हमारा समाज (14 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तानी सेना की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 74 विद्रोही मारे गए हैं। सेना के अनुसार इनमें से 31 विद्रोही बलूचिस्तान में और 43 खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बलूचिस्तान में हमलों को रोकने के लिए तीन जिलों की सुरक्षा पूरी तरह सेना के हवाले कर दी गई है, जबकि छह जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाकर मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 नवंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के विद्रोहियों ने पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 10 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। जवाबी

कार्रवाई में 18 विद्रोही भी मारे गए। विद्रोहियों के हमले में मारे गए लोगों में पुलिस के दो उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

बांग्लादेश ने ठुकराई शेख हसीना की वापसी की शर्तें



इंकलाब (18 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शेख हसीना की वापसी के लिए भारत सरकार की ओर से रखी गई किसी भी कथित शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार शेख हसीना के खिलाफ देश के कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेगी और इसके लिए किसी अन्य देश की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अवधि बीत चुकी है, इसलिए अब उस फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और स्वदेश लौटने पर शेख हसीना को यह सजा भुगतनी ही होगी।

औरंगाबाद टाइम्स (15 नवंबर) ने 'बीबीसी बांग्ला' की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत ने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश की सेना अपना सैन्य विमान दिल्ली भेजकर उन्हें अपनी सुरक्षा में ढाका ले जाए। दूसरी शर्त शेख हसीना की सुरक्षा और न्यायपूर्ण सुनवाई से जुड़ी है, जिसके तहत भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर दे तथा जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के आरोपों की नई सिरे से निष्पक्ष जांच हो, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने की पूरी अनुमति मिले। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि किसी आरोपी की वापसी एक कानूनी मामला है और उस पर कानून के अनुसार ही फैसला किया जाना चाहिए।

औरंगाबाद टाइम्स (10 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना को नया राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना एक फरार अपराधी हैं और हमारा देश किसी आतंकवादी को पासपोर्ट नहीं देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, इसलिए भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले कर दे। उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, यह बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। दूसरी ओर, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि सरकार इस संबंध में भारत के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित कर चुकी है और चाहती

है कि अपराधी हमारे हवाले हो ताकि उसे कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शेख हसीना कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो रंगपुर में अपने ससुराल आ रही हों और उन्हें वापस आने के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए। सलाहुद्दीन ने जोर देकर कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री पर हजारों नागरिकों की हत्या का आरोप है और अदालत उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है।



मुंबई उर्दू न्यूज (12 नवंबर) के अनुसार शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश वापसी की घोषणा के बाद देश में हिंसा भड़क उठी है। पिछले दिनों कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए, जिनमें सरकारी इमारतों और वाहनों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान व सरकारी कार्यालय बंद करने पड़े। बांग्लादेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक दिन में ही 11 जिलों में 22 वाहनों में आग लगाई गई और 28 स्थानों पर बम धमाके हुए। पुलिस प्रवक्ता ने इस हिंसा के पीछे प्रतिबंधित अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। वहीं, फरीदपुर शहर में मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने पेट्रोल छिड़ककर एक बस में आग लगा दी, जिसमें अंदर सो रहे एक बस ड्राइवर की मौत हो गई।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 नवंबर) के अनुसार शेख हसीना ने सितंबर 2026 में स्वदेश लौटने की इच्छा जताते हुए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा था, जिसे बांग्लादेश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के संयुक्त महासचिव और सांसद खैरुल कबीर खोकोन ने आरोप लगाया है कि हसीना देश में हिंसा भड़काकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं ताकि वर्तमान सरकार के लिए मुश्किलें बढ़े, लेकिन इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री पर अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, देश की राजनीति में उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है और अब उन्हें राजनीति में कभी सक्रिय होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उर्दू टाइम्स (8 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश में फैक्ट्रियों के बंद होने और मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिसमें कई मजदूरों के मारे जाने की खबरें भी मीडिया में आई हैं। बांग्ला मीडिया के मुताबिक आर्थिक संकट और अशांति के कारण रेडीमेड कपड़ा बनाने वाली 400 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे लगभग सात लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। देश भर की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है, जबकि खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि विदेश में बैठे कुछ लोग तारिक रहमान सरकार का तख्तापलट करने की साजिश रच रहे हैं।

पाकिस्तान ने दिया ट्रम्प प्रशासन को झटका



उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने निर्वासित ईरानी नागरिकों को लेकर आ रहे एक अमेरिकी चार्टर विमान को अपने देश में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण विमान को बीच रास्ते से ही अमेरिका लौटना पड़ा। इस विमान में नौ ईरानी नागरिक सवार थे, जिन्हें अमेरिका ने निष्कासित किया था। योजना के तहत इन नागरिकों को पाकिस्तान लाकर सड़क मार्ग से ईरान के हवाले किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रवेश की अनुमति न दिए जाने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्वासन अभियान को बड़ा झटका लगा है।

'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के इनकार के बाद विमान को वापस एरिजोना लौटना पड़ा और सभी नौ ईरानी नागरिकों को फिर से इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। हाल के दिनों में यह दूसरा अवसर है जब ट्रम्प प्रशासन की ईरानी नागरिकों को निर्वासित करने की योजना विफल हुई है। इससे तीन दिन पहले भी आठ ईरानी नागरिकों को जॉर्जिया के रास्ते पाकिस्तान भेजने के लिए एक विमान में बिठाया गया था, लेकिन उस उड़ान को अंतिम समय में अचानक रद्द करना पड़ा था। ऐसे में ईरानी और अफगान नागरिकों को पाकिस्तान के रास्ते उनके मूल देशों में भेजने की अमेरिकी योजना को लागू करना अब बेहद मुश्किल हो गया है।

इस घटनाक्रम पर शुरुआत में चुप्पी साधने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी तरह की कूटनीतिक उलझन में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर एक ऐसा समाधान चाहता है, जिस पर सभी संबंधित पक्षों की सहमति हो।

पश्चिम एशिया

इजरायल में गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता



उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख और 'याशर' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसके साथ ही आइजेनकोट ने समर्थन जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इजरायली कानून के तहत उन्हें 28 दिनों के भीतर 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में 61 सीटों का बहुमत साबित करना होगा। इस बीच आइजेनकोट ने राजनीतिक संकट टालने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से दिए गए 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उधर, संसद में आइजेनकोट की पार्टी के सांसद मतान कहाना को नया अध्यक्ष, जबकि एक अरब सांसद को उपाध्यक्ष चुना गया है। गौरतलब है कि हालिया चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 और आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली है, जबकि अरब पार्टियों ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है।

ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार संसद के अध्यक्ष पद के चुनाव में मतान कहाना को 66 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 52 वोट ही हासिल कर पाए। इस जीत के साथ ही इजरायल की राजनीति पर आइजेनकोट की पकड़ मजबूत हो गई है। स्पीकर का पद इसलिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही तय करता है कि सदन में कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा। कहाना के अध्यक्ष बनने से आइजेनकोट के गठबंधन को अपनी पसंद के कानून पारित कराने में आसानी होगी। इस बीच आइजेनकोट ने अपने प्रतिद्वंद्वी बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने की रणनीति के तहत एक जांच आयोग गठित करने की घोषणा की है। यह आयोग इस बात की जांच करेगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का पूर्वानुमान लगाने में इजरायली खुफिया तंत्र क्यों विफल रहा। इसके अतिरिक्त आयोग इस पहलू की भी जांच करेगा कि क्या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नेतन्याहू को हमले से करीब 10 दिन पहले ही आगाह कर दिया था? यदि प्रधानमंत्री के पास इसकी पूर्व सूचना थी तो उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे?

गौरतलब है कि नेतन्याहू पहले ही इस तरह की किसी भी जांच का विरोध कर चुके हैं। उधर, स्पीकर पद के चुनाव पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि मतान कहाना को उन सांसदों का समर्थन मिला है, जो अरब आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। इस बीच, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कई संसदीय उप-समितियों का गठन किया है, जिनकी कमान आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों को सौंपी गई है।



हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 नवंबर) के अनुसार इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'याशर' पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट पर तीखा हमला बोला है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि आइजेनकोट अरब पार्टियों के साथ मिलकर इजरायल को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आइजेनकोट समर्थकों को आगाह किया कि वे सरकार गठन के लिए अरब दलों के समर्थन पर निर्भर न रहें, क्योंकि वे इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा हैं।

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर पलटवार करते हुए गादी आइजेनकोट ने कहा कि नेतन्याहू का बयान यह साबित करता है कि वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं हैं और उन्हें सत्ता से बाहर रखना ही देशहित में है। आइजेनकोट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू के करीबियों के कतर के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उन्होंने इजरायल के कई गोपनीय सैन्य भेद कतर को सौंपे हैं।

दूसरी ओर, नेतन्याहू ने अपने भाषण में ईरान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उसे परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए उस पर हमले जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर कार्रवाई करके इजरायल ने पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल दी है। नेतन्याहू ने कहा कि आज इजरायल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है, इसलिए अस्तित्व बचाने के लिए आंतरिक मतभेद भुलाकर एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाना जरूरी है।

इसी बीच, 'राम पार्टी' के प्रमुख और सांसद मंसूर अब्बास ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में यह दावा करके सनसनी फैला दी कि 2021 के ऑपरेशन 'गार्डियन ऑफ द वॉल्स' के दौरान नेतन्याहू ने उनसे कहा था कि वे हमास के तत्कालीन प्रमुख याह्या सिनवार पर भरोसा करते हैं और दोनों एक-दूसरे को बखूबी समझते हैं। अब्बास ने कहा कि इससे पहले उन्हें नेतन्याहू और हमास के बीच किसी गुप्त बातचीत की जानकारी नहीं थी। वहीं, आइजेनकोट के करीबी सूत्रों का कहना है कि अरब गठबंधन उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है।

सियासत (13 नवंबर) के अनुसार आइजेनकोट ने नेतन्याहू से अपील की है कि जब तक सत्ता हस्तांतरण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक ईरान पर होने वाले सभी हमले फौरन रोक दिए जाएं। आइजेनकोट का मानना है कि इस समय ईरान के खिलाफ किसी भी सख्त सैन्य कार्रवाई से इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भीषण खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर से भी अपील की है कि वे नेतन्याहू के निर्देश पर ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कदम

न उठाएं। हालांकि, इजरायली कानून के तहत जब तक आइजेनकोट नई सरकार का गठन नहीं कर लेते तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सेना को आदेश देने के लिए अधिकृत हैं और सेना उनका पालन करने के लिए बाध्य है।



उर्दू टाइम्स (14 नवंबर) के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा में एक हमले के दौरान हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। हमास की सैन्य शाखा 'अल-कस्साम ब्रिगेड' ने भी अपने कमांडर समीर अबू यूनिस की मौत की पुष्टि कर दी है। अबू यूनिस हमास के उन प्रमुख कमांडरों में शामिल था, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की योजना बनाई थी।

उर्दू टाइम्स (14 नवंबर) के अनुसार इजरायल के हाइफा रब्बिनिकल कोर्ट के पूर्व प्रमुख रब्बी गेदालिया एक्सेलरोड ने एक पत्र जारी कर अरब दलों के साथ गठबंधन करने वाले यहूदी नेताओं की हत्या करने तक की धमकी दी है। उन्होंने इसके लिए यहूदी धार्मिक सिद्धांत 'दिन रोडेफ' का हवाला दिया, जिसका इस्तेमाल 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या को उचित ठहराने के लिए भी किया गया था। चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद अरब पार्टियों द्वारा गादी आइजेनकोट को समर्थन देने के संकेतों के बीच इस पत्र को सीधे तौर पर आइजेनकोट पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है।

दूसरी ओर, प्रमुख यहूदी धार्मिक आंदोलन 'चाबाद लुबाविच' ने एक्सेलरोड के इस पत्र से स्वयं को पूरी तरह अलग करते हुए स्पष्ट किया है कि संगठन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, एक्सेलरोड अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने कहा है कि वे यहूदी धर्मग्रंथ 'तोराह' के आदेश का पालन कर रहे हैं और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं।

सियासत (4 नवंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने के लिए अरब गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' और वामपंथी 'डेमोक्रेट्स पार्टी' के नेता एकजुट हो गए हैं। दोनों पक्षों की एक संयुक्त बैठक के बाद जॉइंट लिस्ट के अध्यक्ष यूसुफ जबरीन ने डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया है कि नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए वे गादी आइजेनकोट का समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि इजरायल की लगभग एक करोड़ कुल आबादी में से करीब 22 लाख अरब नागरिक हैं।

सियासत (5 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी हार पर संतोष व्यक्त किया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि इन दोनों नेताओं ने मुसलमानों और इस्लाम के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा था, अल्लाह ने उन्हें उसी की सजा दी है। संपादकीय में कहा गया है कि दुनिया भर के अन्य देशों को भी इन चुनाव परिणामों से यह सबक लेना चाहिए कि इस्लाम विरोधी झूठे दुष्प्रचार के जरिए जनता की मानसिकता को नियंत्रित करना अब संभव नहीं है। आज की जनता काफी जागरूक हो चुकी है और वह किसी नफरती एजेंडे के जाल में नहीं फंसने वाली है। दुनिया के अन्य निरंकुश शासकों को भी यह समझ लेना चाहिए कि उनका हश्र नेतन्याहू और ट्रम्प से अलग नहीं होगा।

प्राकृतिक संसाधनों पर फिलिस्तीनियों के अधिकार के पक्ष में प्रस्ताव पारित



सहाफत (15 नवंबर) के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरिया के गोलान हाइट्स के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आबादी के स्थायी अधिकारों की पुष्टि की गई है। प्रस्ताव में इजरायल को इन संसाधनों का अवैध दोहन और नुकसान तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र में उरुग्वे द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत सहित कुल 151 देशों ने मतदान किया। वहीं, इजरायल और अमेरिका समेत सात देशों ने इसके विरोध में वोट किया, जबकि 11 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्वी यरुशलम सहित अधिकृत क्षेत्रों में इजरायल द्वारा बनाई जा रही दीवार और यहूदी बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं।

इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जुलाई 2004 की सलाहकार राय का समर्थन करते हुए इजरायल से अपील की गई है कि वह पानी की पाइपलाइनों, सीवेज और बिजली नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करना बंद करे। साथ ही, फिलिस्तीनियों के घरों, कृषि भूमि को ध्वस्त करने, उन पर कब्जा जमाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण व विकास कार्यों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया है।

इंकलाब (19 नवंबर) के अनुसार फ्रांस ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत इजरायल अधिकृत वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फ्रांस 50 लाख यूरो की वित्तीय सहायता देगा। इस धनराशि से जल निकासी व स्वच्छता, सिंचाई, बिजली उत्पादन और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। इस समझौते पर यरुशलम स्थित फ्रांस के महावाणिज्य दूत और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के वित्त मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी 'वफा' के मुताबिक इस समझौते से तुबास और सलफीत प्रांतों के लगभग 22 हजार फिलिस्तीनी नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह इलाका 'एरिया सी' के अंतर्गत आता है, जो पूरे वेस्ट बैंक का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है और जिस पर इजरायल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि फ्रांस ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वंतत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियां बसाने और हिंसा भड़काने के आरोप में तीन इजरायली व्यक्तियों और चार संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ब्रिटेन ने भी इस क्षेत्र में अवैध बस्तियों के निर्माण में शामिल आठ इजरायली

निर्माण कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इन प्रतिबंधों के तहत कोई भी ब्रिटिश नागरिक या कंपनी इन संस्थाओं के साथ किसी भी तरह का लेन-देन और सहयोग नहीं कर सकेगी।



उर्दू टाइम्स (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव ने इस हकीकत को उजागर कर दिया है कि विश्व के अधिकांश देश फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के अवैध कब्जे के खिलाफ हैं। हालांकि, सवाल यह भी उठता है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे कई प्रस्ताव पहले भी पारित कर चुका है, लेकिन इजरायल ने आज तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये प्रस्ताव मानवीय और कानूनी अधिकारों से जुड़े हैं। किसी भी क्षेत्र के जल, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर वहां सदियों से बसे मूल निवासियों का ही अधिकार होता है, न कि अवैध कब्जा करने वालों का।

इजरायल के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का इतिहास काफी पुराना है। जब 1948 में इजरायल की स्थापना हुई थी तब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 194 में यह स्पष्ट किया गया था कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके मूल स्थानों पर फिर से बसाया जाएगा और उन्हें उनके नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद 1967 के युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 242 में इजरायल को फिलिस्तीन, मिस्र और सीरिया के कब्जा किए गए क्षेत्रों को खाली करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इजरायल ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

इसी तरह, 1979 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अन्य प्रस्ताव संख्या 446 में इजरायल से अधिकृत क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बसाने का सिलसिला रोकने और उन्हें खाली करने को कहा गया, लेकिन वह वेस्ट बैंक एवं पूर्वी यरुशलम में बस्तियां बसाने से बाज नहीं आया। साफ है कि ये प्रस्ताव केवल कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। गाजा की स्थिति तो और भी अधिक भयावह है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजरायली सैन्य कार्रवाई ने इस पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया है, जिसमें 50 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धविराम और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर तबाही और विस्थापन का सिलसिला नहीं थमा तो ऐसे में इन प्रस्तावों का क्या औचित्य रह जाता है? हकीकत तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र कुछ ताकतवर पश्चिमी देशों का बंधक बनकर रह गया है, जहां कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं होती।

हूती विद्रोहियों पर सऊदी वायुसेना का बड़ा हमला

मुंबई उर्दू न्यूज (19 नवंबर) के अनुसार सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 60 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इन हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की



अल-मलिकी ने बताया कि ये हमले राजधानी साना के अलावा अमरान, सादा और होदेइदाह में किए गए। इनका उद्देश्य हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को कमजोर करना था। हूतियों के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अलसबही ने जानकारी दी कि होदेइदाह में एक स्पंज बनाने वाली फैक्ट्री पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। वहीं, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों की ओर से रियाद की तरफ दागी गई एक क्रूज मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराया।

दूसरी ओर, सऊदी समर्थित सेनाएं बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के इलाकों से पीछे हट गई हैं। इसे हूती विरोधी खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर ईरान समर्थित हूतियों की पकड़ और मजबूत हो गई है। इस बीच, ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिकी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस कार्रवाई में वायु रक्षा प्रणाली के साथ-साथ ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म नष्ट कर दिए गए। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि कुवैत की सेना ने स्पष्ट किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी ड्रोनों को हवा में ही नाकाम कर दिया और किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

उर्दू टाइम्स (19 नवंबर) के अनुसार ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' को बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को केशम द्वीप पर पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के मिसाइल लॉन्च केंद्र को ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर नई मिसाइलें व ड्रोन दागे, जिनसे किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका

उर्दू टाइम्स (17 नवंबर) के अनुसार ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने आशंका व्यक्त की है कि अमेरिका वार्ता के मायाजाल में उलझाकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ईरान अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि किसी भी संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए स्वयं पहल करेगा। गरीबाबादी ने बताया कि अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो चुका है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के निर्देशन में दो अन्य विमानवाहक युद्धपोत वहां पहले से ही तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के इरादों को लेकर पूरी तरह सतर्क है।

उप विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक ईरानी शर्तें पूरी नहीं होतीं और यह विश्वास नहीं हो जाता कि हमले का खतरा स्थायी

तौर पर टल गया है तब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले डेढ़ साल से अमेरिका ईरान के साथ धोखेबाजी करता आ रहा है। दूसरी ओर, फ्रांसीसी मीडिया संस्थान 'फ्रांस 24' की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने सीरिया से लौटे अफगान शिया लड़ाकों के सशस्त्र संगठन 'फातेमियून डिवीजन' के सदस्यों को आईआरजीसी में शामिल करना शुरू कर दिया है। इन प्रशिक्षित लड़ाकों को आधुनिक हथियारों से लैस कर ईरान की सीमाओं, विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे इलाकों की सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है।



उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए भारी दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रम्प ने संकेत दिया है कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए सिरे से हमले के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि कतर सरकार परोक्ष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक समझौता कराने का प्रयास कर रही है।

उर्दू टाइम्स (15 नवंबर) के अनुसार ईरान ने पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें उसके हमलों से हुई तबाही का दावा किया गया है। ईरान का कहना है कि वह अब अपनी नई विकसित मिसाइलों की सहायता से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों को भी निशाना बनाने की स्थिति में आ गया है। दूसरी ओर, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जसीम मोहम्मद अल-बुदैवी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप लगाया है कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने जीसीसी के सदस्य देशों पर सात हजार से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिनसे बुनियादी ढांचे और नागरिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्लामाबाद में आयोजित आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान हमेशा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का पक्षधर रहा है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी ईरान की समस्याओं को वार्ता के जरिए हल करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी वह ईरान के हौसले को तोड़ने में विफल रहा है और आज देश रक्षा की दृष्टि से पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अराघची ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए अपने निर्धारित परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा।

अवधनामा (5 नवंबर) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उसने ईरान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो यह युद्ध केवल पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघर्ष की यह आग अमेरिका और यूरोप तक भी फैल सकती है, इसलिए वाशिंगटन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए।

सऊदी अरब द्वारा भारत के हज कोटे की घोषणा



हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 नवंबर) के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल-रबिया के साथ 2027 के द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अगले वर्ष भारत से एक लाख 75 हजार 25 हज यात्री सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी मंत्री ने रिजिजू को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार सभी हज यात्रियों को अत्याधुनिक चिकित्सा, सुरक्षित आवास, भोजन और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हज पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति 'अल्लाह' का मेहमान होता है।

जेद्दा में आयोजित छठे अंतरराष्ट्रीय हज सम्मेलन और प्रदर्शनी में दुनिया भर से आने वाले लाखों हज यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इस सम्मेलन में भारत की ओर से किरेन रिजिजू के साथ जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहद अहमद खान सूरी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल भी शामिल हुए। रिजिजू ने सऊदी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेकर संतोष व्यक्त किया और इस दौरान जेद्दा के समुद्री तट पर स्थित ऐतिहासिक अल-रहमा मस्जिद (फ्लोटिंग मस्जिद) का भी दौरा किया, जो सऊदी अरब की समृद्ध इस्लामी विरासत और स्थापत्य कला का प्रतीक मानी जाती है।

कौमी तंजीम (10 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के संरक्षण में आयोजित इस सम्मेलन में 150 से अधिक देशों और लगभग 520 संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सऊदी नेतृत्व ने संदेश दिया कि हज यात्रियों की सेवा करना उनका सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य है और उनकी सुरक्षा व सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722



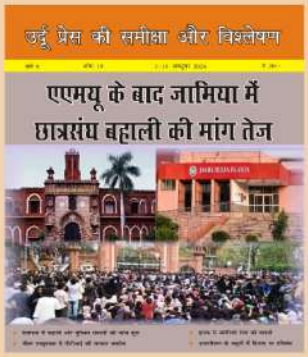

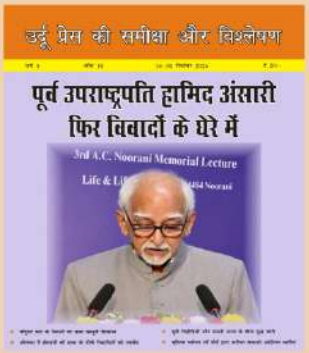

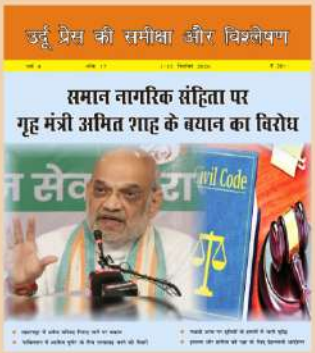

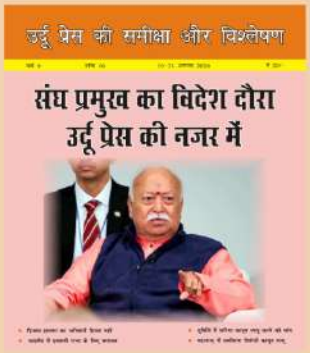



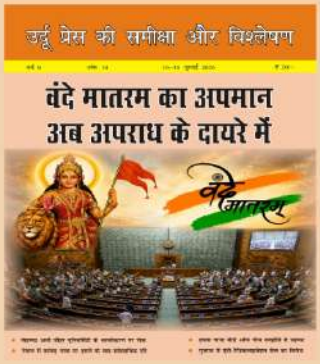

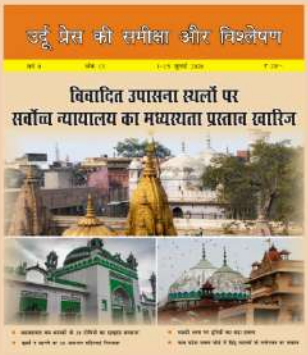



भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in